प्रकरण संख्या 06/2023
अनवान महेन्द्र पाहुजा बनाम नरेश कुमार

Continuation Note Sheet

4-2025

वकील उभयपक्ष उपस्थित। रेस्पोडेन्ट संख्या 4 द्वारा जरिए वकील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 व 141 सी.पी.सी. प्रस्तुत किया गया जिमसे अंकित तथ्यानुसार अपीलांट द्वारा उपरोक्त अनवानी की अपील सरपंच ग्राम पंचायत जोधेवाला द्वारा स्वीकृत इंतकाल संख्या 509 दिनांक 20–02–2017 के विरूद्ध इन तथ्यों के साथ पेश की गई है कि कानाराम पुत्र नारायण सिंह के नाम से चक 16 जे छोटी व 15 जे छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के कुल 39 बीघा कृषि भूमि थी। कानाराम का देहान्त हो चुका है। कानाराम के चार लड़के व एक लड़की परमेश्वरी देवी थी। कानाराम की मृत्यु के पश्चात् सभी वारिसान को सम्भागो में उक्त भूमि प्राप्त हुई। परमेश्वरी देवी लाऔलाद थी, वह ज्ञान चंद उर्फ दीवान चंद के साथ निवास करती थी, उसके हिस्सा की भूमि का मौखिक बंटवारा चारो भाईयों के पक्ष में हो गया था। परमेश्वरी देवी के हिस्सा में 7 बीघा भूमि आई थी। दिनांक 23–03–79 को भाई–बहनों के मध्य बंटवारा का ज्ञापन हुआ जिसका एक्ट अपोन हो चुका है। दिनांक 18–08–1989 को एक दस्तावेज परमेश्वरी देवी ने निष्पादित किया कि परमेश्वरी देवी की मृत्यु के पश्चात् चारो भाईयो को सम्भागों में बांटी जायेगी। परमेश्वरी देवी मानसिक रूप से परेशान रहती थी, सोचने समझने की शक्ति समाप्त हो गई थी, भले बुरे का ज्ञान नहीं था। परमेश्वरी देवी की मानसिक स्थिति का फायदा उठाते हुए नरेश कुमार ने परमेश्वरी देवी को बिना बताये ही वसीयत दिनांक 19–03–2021 को करवा ली व वसीयत के आधार पर इन्ताकाल दर्ज करवाकर उपहार पत्र नरेश कुमार ने अपने भाईयों के हक में दिनांक 31–01–2017 को निष्पादित कर दिया व उपहार पत्र के आधार पर ही इंतकाल दिनांक 20–02–2017 को करवाया गया है, जो अपास्त किया जावे। इन्हीं तथ्यों के आधार पर ही एक वाद सम्माननीय सिविल न्यायाधीश, (क०ख०), श्रीगंगानगर के समक्ष अपीलांट के पिता भगवान दास द्वारा बाबत स्थाई निषेद्याज्ञा व घोषणात्मक व्यादेश का दिनांक 24–09–2017 को रेस्पोडेंट के विरूद्ध प्रस्तुत कर वसीयत दिनांक 19–03–2001 व उसके आधार पर ही उपहार पत्र दिनांक 31–01–2017 को अपने अधिकारों पर निष्प्रभावी घोषित करवाने का अनुतोष चाहा गया है जो वाद इंतकाल न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश, संख्या 2, श्रीगंगानगर में विचाराधीन है वाद की सत्य प्रति संलग्न है। उक्त वाद की विषयवस्तु व पक्षकारान तथ्य अपील की विषयवस्तु व पक्षकारान एक सामान है, विधि का यह सुव्यवस्थित सिद्धांत है कि यदि कोई न्यायालय ऐसे किसी भी वाद के विवरण में जिसमें विवाद्य विषय उन्हीं के अधीन मुकदमा करने वाली पक्षकारान के बीच में या ऐसे पक्षकारों के बीच के अधीन उत्पन्न वाद की विषयवस्तु व पक्षकारान एक ही होने पर यदि वाद पूर्व में ही सक्षम न्यायालय की अधिकारिता में विचाराधीन है तो ऐसी स्थिति में उन्हीं पक्षकारों के मध्य व उसी

Scanned with CamScanner

विषयवस्तु के सम्बंध में बाद में प्रस्तुत वाद में कार्यवाही को पूर्ववर्ती वाद के विचाराधीन रहते हुए स्थगित कर देना चाहिए । इस कारण उपरोक्त अनुसार वर्तमान अपील की कार्यवाही मूल वाद के निस्तारण तक स्थगित की जानी आवश्यक है। प्रार्थना पत्र समायत अदालतहाजा है व पूर्ण न्यायशुल्क पर पेश है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र रेस्पोडेंट संख्या 4 स्वीकार की जाकर उपरोक्त अपील की कार्यवाही मूल वाद के निस्तारण तक स्थगित रखी जावे।

वकील अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब पेश नहीं करने पर जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 व 141 सी.पी.सी. बंद किया गया।

वकील उभयपक्ष की बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 व 141 सी.पी.सी. सुनी गई। वकील अपीलार्थी की मुख्य बहस प्रार्थना पत्र यह रही कि कानाराम पुत्र नारायण सिंह के नाम से चक 16 जे छोटी व 15 जे छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के कुल 39 बीघा कृषि भूमि थी। कानाराम का देहान्त हो चुका है। कानाराम के चार लड़के व एक लड़की परमेश्वरी देवी थी। परमेश्वरी देवी लाऔलाद थी, उसके हिस्सा की भूमि का मौखिक बंटवारा चारो भाईयों के पक्ष में हो गया था। परमेश्वरी देवी के हिस्सा में 7 बीघा भूमि आई थी। परमेश्वरी देवी मानसिक रूप से परेशान रहती थी, दिनांक 18–08–1989 को एक दस्तावेज परमेश्वरी देवी ने निष्पादित किया कि परमेश्वरी देवी की मृत्यु के पश्चात् चारो भाईयो को सम्भागों में बांटी जायेगी। परमेश्वरी देवी की मानसिक स्थिति का फायदा उठाते हुए नरेश कुमार ने परमेश्वरी देवी को बिना बताये ही वसीयत दिनांक 19–03–2021 को करवा ली जो अपास्त किया जावे। वसीयत के आधार पर इन्ताकाल दर्ज करवाकर उपहार पत्र नरेश कुमार ने अपने भाईयों के हक में दिनांक 31–01–2017 को निष्पादित कर दिया व उपहार पत्र के आधार पर ही इंतकाल दिनांक 20–02–2017 को करवाया गया है, इन्हीं तथ्यों के आधार पर ही एक वाद सम्माननीय सिविल न्यायाधीश, (क०ख०), श्रीगंगानगर के समक्ष दायर किया गया जो वर्तमान में न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश, संख्या 2, श्रीगंगानगर में विचाराधीन है। उक्त वाद की विषयवस्तु व पक्षकारान तथ्य अपील की विषयवस्तु व पक्षकारान एक सामान है। इस कारण उपरोक्त अनुसार वर्तमान अपील की कार्यवाही मूल वाद के निस्तारण तक स्थगित की जानी आवश्यक है। बहस के समर्थन में वकील रेस्पोडेंट द्वारा न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश संख्या 2 श्रीगंगानगर में दायर वाद संख्या 155/2019 के आदेशिका की प्रमाणित प्रतियां पेश की गई। न्यायालय जिला न्यायाधीश श्रीगंगानगर में दायर वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा की प्रमाणित प्रति पेश की गई। न्यायिक दृष्टान्त– RRD 1992 pg 304, [Citation : 2016(1) RLW 709 (Raj.)] पेश किये गये। **वकील अपीलार्थी की जवाब बहस यह रही कि** अपीलार्थी द्वारा निर्णय व आदेश दिनांक 20.02.2017, न्यायालय सरपंच, ग्राम पंचायत जोधेवाला, पंचायत समिति श्रीगंगानगर द्वारा स्वीकृत इंतकाल संख्या 509 जिसके द्वारा इंतकाल प्रत्यर्थी संख्या 2, 3, 4 के हक में किया गया है को अपास्त करने के लिए प्रस्तुत की गई है। हस्तगत अपील व सिविल न्यायालय में विचाराधीन वाद दोनों अलग अलग वस्तुस्थिति पर प्रस्तुत किये गये हैं। चूंकि कृषि भूमि के इंतकाल से सम्बन्धित अपील प्रकरण की सुनवाई राजस्व न्यायालय की क्षेत्राधिकारिता में है। अतः रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

Scanned with CamScanner

वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया एवं माननीय न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश संख्या 2 श्रीगंगानगर में दायर वाद संख्या 155/2019 की आदेशिका की प्रमाणित प्रतियां, माननीय न्यायालय जिला न्यायाधीश श्रीगंगानगर में दायर वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा की प्रमाणित प्रतियों एवम् न्यायिक दृष्टान्त– RRD 1992 pg 304, [Citation : 2016(1) RLW 709 (Raj.)] का गहनता से अध्ययन किया गया। हस्तगत अपील एवं सिविल न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण की विषयवस्तुत एवं पक्षकार समान है। जिन दस्तावेजात के आधार पर नामान्तकरण हुआ है उन्ही दस्तावेजात की वैद्यता के सम्बन्ध में प्रकरण सिविल न्यायालय में विचाराधीन है। जब तक सिविल न्यायालय में विचाराधीन वाद में दस्तावेज की वैद्यता का अन्तिम निर्णय नहीं हो जाता तब तक इस प्रकरण में कार्यवाही को स्थगित रखा जाना उचित प्रतीत होता है। अतः रेस्पोडेन्ट संख्या 4 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 10 व 141 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर हस्तगत अपील प्रकरण की कार्यवाही को सिविल न्यायालय में विचाराधीन वाद के अन्तिम निर्णय तक स्थगित किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 25.04.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर रहे।

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी,
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner